न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।

फौजदारी वाद संख्या 31441/2025
मुकदमा अपराध संख्या 70/2001
सरकार बनाम जितेन्द्र
धारा 379/411 भा. दं. सं.
थाना कोतवाली, गाजियाबाद।

3-8-2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियुक्त जितेन्द्र अनुपस्थित है।

पत्रावली अभियोजन साक्ष्य अन्तर्गत धारा 299 दं. प्र. सं. हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 28-7-2026 को अभियुक्त को फरार उदघोषित करते हुए पत्रावली अभियोजन की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 299 दं. प्र. सं. हेतु नियत की गयी थी परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य अन्तर्गत धारा 299 दं. प्र. सं. प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त को फरार उदघोषित किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को अन्तहीन अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है और अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारन्ट जारी किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध उदघोषणा सहित अजमानतीय अधिपत्र सम्बन्धित पुलिस आयुक्त को इस आशय से प्रेषित हो कि अभियुक्त को गिरफतार किये जाने की दशा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को उदघोषित अपराधी की सूचना सुसंगत अभिलेख में दर्ज कराने के लिए प्रेषित की जाए।

तदनुसार धारा 299 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत पत्रावली अभिलेखागार दाखिल हो तथा अभिलेखपाल को निर्धारित अवधि तक पत्रावली सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया जाता है। अभियुक्त की गिरफतारी होने पर पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

(आनन्द कुमार उपाध्याय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।